



प्रेस नोट 01- दिनांक 18.11.2023

थाना बिहार, जनपद उन्नाव ।

- **कूटरचित कागजात तैयार कराकर धोखाधड़ी करते हुए जमीन का बैनामा कराने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा कूटरचित कागज तैयार करा धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 30.08.2023 को वादिनी श्रीमती प्रेमलता पत्नी बुद्धीलाल निवासिनी ग्राम धुँवाधार थाना बिहार जिला उन्नाव द्वारा थाना बिहार पर मु0अ0सं0 179/2023 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत कराया गया जिसमें बताया कि अभि0गण द्वारा फर्जी कागज तैयार कर धोखाधड़ी कर शिवशंकर पुत्र दीनदयाल नि0 मानपुर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव की जमीन फर्जी तरीके से श्रीमती प्रेमलता को रजिस्ट्री कर बैनामा करा दी गयी । आज दिनांक 18.11.2023 को अरुण कुमार उपाध्याय मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.सत्यप्रकाश पुत्र स्व0 दीनदयाल विश्वकर्मा उम्र करीब 46 वर्ष नि0 ग्राम मानपुर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव हाल पता 32 कृष्णालोक कालोनी दरोगाखेड़ा के पास थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ 2.रविशंकर लोधी उर्फ बासू पुत्र रामचन्द्र उम्र करीब 37 वर्ष नि0 ग्राम अटवट थाना बीघापुर जिला उन्नाव 3.राजेश गुप्ता पुत्र स्व0 त्रिलोकी गुप्ता उम्र करीब 56 वर्ष निवासी मोहल्ला शान्ति नगर थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ को कस्बा पाटन पुल के नीचे लगे फलों के ठेलों के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.सत्यप्रकाश पुत्र स्व0 दीनदयाल विश्वकर्मा उम्र करीब 46 वर्ष नि0 ग्राम मानपुर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव हाल पता 32 कृष्णालोक कालोनी दरोगाखेड़ा के पास थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ ।
- 2.रविशंकर लोधी उर्फ बासू पुत्र रामचन्द्र उम्र करीब 37 वर्ष नि0 ग्राम अटवट थाना बीघापुर जिला उन्नाव ।
- 3.राजेश गुप्ता पुत्र स्व0 त्रिलोकी गुप्ता उम्र करीब 56 वर्ष निवासी मोहल्ला शान्ति नगर थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 अरुण कुमार उपाध्याय
- 2.हे0कां0 सईद अहमद
- 3.कां0 जितेश कुमार





प्रेस नोट 02- दिनांक 18.11.2023

थाना बारासगवर, जनपद उन्नाव ।

● गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना बिहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/23 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र सरोज पुत्र कल्लू सरोज उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम मलाक मोहिनुद्दीनपुर महगांव थाना संदीपनघाट जनपद कौशाम्बी को आज दिनांक 18.11.2023 को थानाध्यक्ष बारासगवर श्री दिलीप कुमार प्रजापति व उ0नि0 श्री प्रमे नारायण सरोज मय हमराह फोर्स द्वारा बस अड्डा बक्सर से गिरफ्तार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. वीरेन्द्र सरोज पुत्र कल्लू सरोज उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम मलाक मोहिनुद्दीनपुर महगांव थाना संदीपनघाट जनपद कौशाम्बी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष दिलीप कुमार प्रजापति
2. उ0नि0 प्रेम नारायण सरोज
3. हे0का0 राकेश शर्मा
4. का0 गोबिन्द उपाध्याय
5. का0 राहुल कुमार
6. का0 अनिल कुमार





प्रेस नोट 03- दिनांक 18.11.2023

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।

- 12/13 नवंबर की रात्रि में थाना सफीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बम्हना में घटित हत्या की घटना का हुआ खुलासा
- गांव के ही रहने वाला युवक ने दिया था घटना को अंजाम
- थाना सफीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को मय आलात्तल एक ईंट का टुकड़ा बरामद कर किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम बम्हना में दिनांक 12/13.11.2023 को हत्या की घटना का खुलासा करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त को मय आलात्तल ईंट का टुकड़ा (खून लगा) बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 12/13.11.2023 की रात्रि में थाना सफीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बम्हना में छन्नू सिंह उम्र 52 वर्ष पुत्र स्व० चन्द्रभान सिंह निवासी जरगाँव थाना अचलगंज जनपद उन्नाव की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिसके संदर्भ में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 332/2023 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

दौराने विवेचना अभियुक्त कुलदीप सिंह चौहान उर्फ आकाश सिंह पुत्र स्व० जीत बाहदुर सिंह उर्फ लाला उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बम्हना थाना सफीपुर जनपद उन्नाव का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 18.11.2023 को प्रभारी निरीक्षक श्री श्याम नरायण सिंह थाना सफीपुर मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त कुलदीप सिंह उपरोक्त को ग्राम बम्हना के बाहर बड़ा देव रेलवे लाइन अण्डर से हिरासत में लिया गया

पूछताछ करने पर अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दीपावली की रात वह अपने घर वापस लौट रहा था तभी छन्नू सिंह पुत्र स्व० चन्द्रभान सिंह नि० जरगाँव थाना अचलगंज जनपद उन्नाव जो फतेहबाहादुर के निर्माणाधीन मकान के बने बरामदे में चारपाई पर लेटे नशे की हालत में लोगो को गाली दे रहे थे। मेरे द्वारा मना करने पर मुझे भी गालियां देने लगा, जिससे आक्रोश में आकर मैंने वही पर पड़े ईंट

के टुकड़े से छन्नू उपरोक्त माथे पर जान से मारने की नियत से दो-तीन बार किये और वहाँ से भाग कर उस खून लगे ईट के टुकड़े को रामेन्द्र सिंह पुत्र जय राम सिंह के बने शौचालय के पास झाड़ी में छिपा दिया।

अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त की निशांदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून लगे ईट के टुकड़े को बरामद कर लिया गया तथा मु0अ0सं0 332/23 धारा 302 भादवि में धारा 201 भादवि की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कुलदीप सिंह चौहान उर्फ आकाश सिंह पुत्र स्व0 जीत बाहदुर सिंह उर्फ लाला उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बम्हना थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

बरामदगी-

ईट का टुकड़ा (खून लगा हुआ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री श्यामनारायण सिंह

हे0का0 ईश्वरदयाल

का0 अरुण कुमार सिंह

का0 विश्वजीत भारती





प्रेस नोट 04- दिनांक 18.11.2023

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।

● गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना गंगाघाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 667/23 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सुहेल अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी 90/233 हीरामन का पुरवा थाना बेकनगंज कानपुर नगर हाल पता राइडर ग्रीन फोखरपुर थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर उम्र 54 वर्ष को आज दिनांक 18.11.2023 को प्रभारी निरीक्षक थाना गंगाघाट श्री राजकुमार व अपराध निरीक्षक श्री विनोद कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा त्रिभुवन खेड़ा मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुहेल अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी 90/233 हीरामन का पुरवा थाना बेकनगंज कानपुर नगर हाल पता राइडर ग्रीन फोखरपुर थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर उम्र 54 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त- सुहेल अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी 90/233 हीरामन का पुरवा थाना बेकनगंज कानपुर नगर हाल पता राइडर ग्रीन फोखरपुर थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर उम्र 54 वर्ष

1.	532/2022	447 भादवि व 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0	गंगाघाट	उन्नाव
2.	667/2023	2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट	गंगाघाट	उन्नाव
3.	555/2022	504/506/384/447 भा0दं0वि0	गंगाघाट	

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री राजकुमार
2. अप०निरी० श्री विनोद कुमार
3. का० राघवेन्द्र सिंह
4. का० सचिन कुमार
5. का० गिरीश कुमार
6. का० कमलेश पाल
7. का० सोनू कुमार
8. का० प्रशान्त सिंह





प्रेस नोट 05- दिनांक 18.11.2023

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

● दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.10.2023 को थाना गंगाघाट पर पंजीकृत मु0अ0स0 590/23 धारा 498ए/304 बी भादवि0 व 3 / 4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्ता रहमतुल पत्नी स्व0 अब्दुल रहमान निवासी मकईयाताल एक मिनारी मस्जिद के पास रहमतनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 52 वर्ष को आज दिनांक 18.11.2023 को उ0नि0 श्री ज्ञान सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मोहल्ला मकईयाताल एक मिनारी मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. रहमतुल पत्नी स्व0 अब्दुल रहमान निवासी मकईयाताल एक मिनारी मस्जिद के पास रहमतनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 52 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ज्ञान सिंह
2. हे0का0 सुभाष चन्द्र सिंह
3. म0का0 प्रिया सिंह



प्रेस नोट 06- दिनांक 18.11.2023

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

● दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना गंगाघाट पर पंजीकृत मु0अ0स0 685/23 धारा 498ए/304 बी भादवि0 व 3 / 4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त सर्वेश उर्फ गोलू पुत्र स्व0 रमेश सविता उम्र 23 वर्ष निवासी मोहल्ला आजाद नगर निकट एबी पब्लिक स्कूल थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव व अभियुक्ता विजय लक्ष्मी पत्नी स्व0 रमेश सविता उम्र करीब 56 वर्ष निवासी मोहल्ला आजाद नगर निकट एबी पब्लिक स्कूल थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को आज दिनांक 18.11.2023 को अपराध निरीक्षक श्री विनोद कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा राजधानी मार्ग स्थित गंगाराम होटल आजादनगर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.सर्वेश उर्फ गोलू पुत्र स्व0 रमेश सविता उम्र 23 वर्ष निवासी मोहल्ला आजाद नगर निकट एबी पब्लिक स्कूल थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव
2. विजय लक्ष्मी पत्नी स्व0 रमेश सविता उम्र करीब 56 वर्ष निवासी मोहल्ला आजाद नगर निकट एबी पब्लिक स्कूल थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.अ0निरीक्षक श्री विनोद कुमार
- 2.का0 आशू चौधरी
- 3.का0 गौतम
- 4.म0का0 ओमलता कुशवाहा

